भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4679

दिनांक 29.03.2023 को उत्तर देने के लिए

समुद्री खनिज

†4679. श्री हैबी ईडन:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनिजों को प्राप्त करने हेतु समुद्र में खनन के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे जुड़े लाभ और जोखिम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने समुद्र तटीय समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ उनकी चिंताओं को दूर करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत की समुद्री खनन के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों की निगरानी और मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने हेतु एक दीर्घकालिक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या समुद्री खनन से प्राप्त राजस्व का उपयोग समुद्र तटीय समुदायों के कल्याण और समुद्री अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा;

(ङ) क्या खनिजों को प्राप्त करने हेतु समुद्र में खनन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने समुद्री खनन का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदायों की आजीविका पर व्यापक प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) [ओएएमडीआर] अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार खनिजों के लिए समुद्र में खनन करने की अनुमति दी गई है।

(ख): जी, हां। विधायी-पूर्व परामर्श नीति (पीएलसीपी) के अनुसार, ओएएमडीआर, अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन पर समुद्र तटीय समुदायों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया गया है। मछुआरा समुदायों सहित कुल 67 हितधारकों ने अपने विचार रखे हैं।

(ग) और (च): समुद्र खनन के पर्यावरणीय प्रभाव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा प्रशासित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित किए जाते हैं।

(घ): समुद्री खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। भारत की संचित निधि में से व्यय स्वीकृत बजट के अनुसार किया जाता है।

(ड.): ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को प्रचालन अधिकार तब तक प्रदान नहीं करेगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति-

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई भारतीय नागरिक है, या एक कंपनी है; और

(ख) यथा निर्धारित ऐसी शर्तों को पूरा करता है:

बशर्ते कि परमाणु खनिजों या निर्धारित पदार्थों के लिए कोई उत्पादन पट्टा परमाणु ऊर्जा से संबंधित भारत सरकार के विभाग के परामर्श के बिना नहीं दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति, 2020 के अनुसार, हीरा, सोना, चांदी और बहुमूल्य अयस्कों सहित परंतु टाइटेनियम युक्त खनिजों और इसके अयस्कों को छोडकर धातु और गैर-धातु अयस्कों के खनन और गवेषण में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अध्यधीन स्वचालित प्रवेश मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है। तथापि, टाइटेनियम युक्त खनिजों और अयस्कों के खनन और खनिज पृथक्करण, इसके मूल्य वर्धन और एकीकृत गतिविधियों में सरकारी प्रवेश मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति है।

****